MOST URGENT
VIDHAN SABHA QUESTION

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI

F.No.11(34)/PWD-II/VSQ-11/july21/Un.St.Q/ 6096 – 6099 **Date:-** 28/07/2021

To

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi- 110054.

Sub: - Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 11 raised by Sh. Somnath Bharti, Hon'ble MLA for dated 29.07.2021.

Sir,

Kindly refer to your letter No. F. 11(B-1) VI/2015-20/VSS/Question Branch/5979 dated 22.07.2021 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

28.7.21
(A.L. MADAAN)
Dy. Secretary (PWD/VS)
Ph. 011-23392589

F.No.11(34)/PWD-II/VSQ-11/july21/Un.St.Q/ 6096 - 6099 **Date:-** 28/07/2021

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD), 7th level, Delhi Secretariat, GNCTD.
2. E-in-C, PWD, MSO Building, I.P. Estate,GNCTD, New Delhi.
3. PS to Secretary (PWD), 5th level, Delhi Secretariat, GNCTD, New Delhi.

28.7.21
(A.L. MADAAN)
Dy. Secretary (PWD/VS)

विभाग का नाम :– लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :– 5वॉ तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली–110002.

अतारांकित प्रश्न संख्याः 11

दिनांकः 29.07.2021

प्रश्नकर्ता का नामः श्री सोमनाथ भारती

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेगें किः

क्र.स.	प्रश्न	उत्तर
क	वर्क एस्टीमेट' के 50 प्रतिशत से भी कम पर निविदाओं का आवंटन क्यों किया जा रहा है;	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्क मेनुअल एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रथम न्यूनतम ठेकेदार को कार्य आवंटित किया जाता है।
ख	कई परियोजनाओं में ईएमडी को हटा दिया गया है। कार्य निष्पादन गारंटी केवल 3 प्रतिशत है। ऐसे में इंजीनियर गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य कैसे पूरा कर पाएँगे;	अनुबन्ध की शर्तों में बदलाव कोविड–19 को देखते हुए वित्त विभाग, भारत सरकार के ओ.एम. दिनांक 25.11.2020 की अनुपालना में लो.नि.वि दिल्ली सरकार द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 22.12.2020 के आदेशानुसार ईएमडी को हटा दिया गया है व कार्य निष्पादन गारंटी 3 प्रतिशत किया गया है। अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित किये जा रहे है। गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य को करवाया जा रहा है।
ग	लोक निर्माण विभाग के सभी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। उन्हें कब तक भरा जाएगा;	लोक निर्माण विभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पदो को छोडकर बांकी सभी पदों की रिक्तियां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार द्वारा भरी जाती है । सहायक लेखा अधिकारी के पदो को भरने के लिए समय समय पर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा जाता है, (प्रति सलंग्न है)।
घ	लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच कोई तालमेल नहीं है, इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और	लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल हेतु अलग–अलग स्तर पर आवश्यक Meetings कि जाती है एवं समन्वित निर्णय लिए जाते है।
ङ	सरकारी विभागों और निजी इकाइयों द्वारा लो.नि.वि. की सड़कों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और पुलिस सहयोग प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।	ऐसे मामलों को संज्ञान में आने पर तुरन्त स्पेशल टास्क फोर्स को आवश्यक कार्यवाई के लिये प्रेषित किया जाता है। स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा आवश्यक कार्यवाई कि जाती है।
च	मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पेडों की छटाई के लिए सरकार की क्या योजना हैं;	मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में पेड़ो की छटाई के लिए सरकार की कोई योजना नही है।
छ	क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण और संबन्धित विभाग की अनुमति ली गई है ; और	इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नही किया गया। समय–समय परशिमायतो के आधार पर पेड़ों की छटाई की जाती है। यदि भारी छटाई की आवश्यकता होती है तो संबंधित विभाग से भारी छटाई हेतू अनुमति ली जाती है।
ज	क्या इस संबंध में कोई निविदा आबंटित की गई है?	मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र हेतू कोई निविदा आवंटित नही की गई है।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

Deputy Secretary (PWD)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, I.P. Estate
New Delhi-110002

28.7.21

(ए.एल. मदान)

उप सचिव, (लो0नि0वि0)

Deputy Secretary (PWD)
Govt. of NCT
Delhi Secre
New De

दिल्लीसरकार
कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु–मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नईदिल्ली: 110002
23490260, 23724560, 23311293फैक्स23319021
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वेबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई–मेल: pwdhqdelhi@gmail.com

सं. 27(1)/लो0नि0वि0/प्रमुख अभि./2021/701 (M) दिनांक: 23.02.2021

सेवा में,

संयुक्त सचिव (व्यय)
वित्त लेखा विभाग,
दिल्ली सरकार, 6 ए विंग लेवल–4
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–110002।

विषय:– सहायक लेखा अधिकारी के तैनाती के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में प्रमुख अभियंता कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारियों की स्वीकृत पदों की संख्या 70 है तथा रिक्त पदो की संख्या 45 है। सहायक लेखाधिकारियों की भारी कमी के कारण मंडल कार्यालयों में कार्य करने में अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रिक्त पदो पर अतिशीघ्र लेखाधिकारियों की तैनाती आवंटन करने की कृपा करें ताकि कार्यालयों का कार्य सुचारु रूप से चल सकें।

यह पत्र प्रमुख अभियंता महोदय की अनुमति से जारी किया जाता है।

निदेशक (कार्मिक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु प्रषित :–

1. प्रधान मुख्य अभियंता (एम एवं फ्लाईओवर), लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य अभियंता (परियोजना), लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली।

निदेशक (कार्मिक)